न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 03/2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021/3

उनवान

1. मनभर पत्नी देवकरण
2. धनबाई पत्नी देवपाल
3. मन्नो पत्नी माणकचन्द
4. अनिता पत्नी दीपचन्द

समस्त जातियान मीना निवासीयान भारजा नही तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. टीकाराम पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी भारजा नदी।
2. शाखा प्रबन्धक, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भाडौंती।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील मलारना डूंगर।

....रेस्पोडेन्टस।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 11.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 67/2012 बउनवान सरकार बनाम मनभर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी तहसीलदार मलारना डूंगर ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा न0 1407 रकबा 0.072 व खसरा नं0 1398 रकबा 04.24 है0 मे से 2.24 है0 ग्राम भारजा नदी मे अपीलांटगण की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। उक्त आराजी मे मोके पर स्वयं खातेदारान द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन का कार्य कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जा रहा है। जो धारा 177 आर टी एक्ट के तहत अवैधानिक है खातेदारान द्वारा यह अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। खातेदार अपनी कृषि भूमि में केवल कृषि कार्य ही कर सकता है परन्तु खातेदारान द्वारा भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना बजरी खनन का कार्य किया जा रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन होने के कारण उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया की भूमि ख० न० 1407 रकबा 0.72 व ख0नं0 1398 रकबा 4.24 है० वाके ग्राम भारजा नदी में स्थित है। बनास नदी के बहाव के पास खातेदारी भूमि की उपरी सतह पर अन उपजाऊ मिटटी को हटाकर उपजाऊ भूमि (काश्त योग्य) निकाली है। कोई बजरी खनन का कार्य प्रतिवादीगण द्वारा नही किया जा रहा है। मातहत अदालत ने दिनांक 25.03.2015 को उक्त वाद पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि " भूमि खसरा नंबर 1407 रकबा 0.72 व खसरा नंबर 1398 रकबा 4.24 है0 मे से 2.24 है0 ग्राम भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित की जाती है। राजस्व अभिलेख मे यह भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज की जावे। " उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है,

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित कर पत्रावली पर उपस्थित दस्तोवजी साक्ष्यों की कोई विवेचना नही की जबकि यह बात स्पष्ट थी कि अपीलांट संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वादग्रसत आराजी रही हैं। एकमात्र हल्का पटवारी द्वारा रंजिशवश कार्यवाही को आधार मानकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है। उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई है। वर्णित आराजीयात नदी से लगभग 02 किलोमीटर दूर स्थित है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनी कई नजीरों में स्पष्ट मत पारित किया है कि मातहत अदालत को वाद पत्र एवं प्रस्तुत जवाब दावा पर बनायी गई तनकीयात तथा वाद में आयी हुई दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक तनकी पर अपना मत पारित करना चाहिये था, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय मय ऑर्डर 14 रूल 5 सी0पी0सी0 का बोईलेशन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय मय डिक्री दिनांक 25.03.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा 02.11.2021 को उक्त निर्णय की जानकारी देने पर मालूम हुआ कि उक्त अपीलांट की उक्त आराजीयात सिवायचक दर्ज कर दी है। अपीलांट के वकील द्वारा अपीलांट को कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सूचना नही देने से अपील पेश करने मे देरी हुई है, अतः देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति दी जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षेप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात नदी से लगभग 02 किलोमीटर दूर स्थित है, जिस पर करीबन 6–7 साल से अमरूद का बगीचा लगा रखा है। अपीलांटगण उसी से अपना जीवनयापन करते है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात का कोई उपयोग नही किया जा रहा है। यह तथ्य जवाब दावा मे अपीलांटगण/प्रतिवादीगण द्वारा मातहत अदालत के समक्ष रखने के पश्चात् भी अपीलांटगण को मातहत अदालत द्वारा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर उक्त आराजीयात को सिवायचक मे दर्ज कर दिया गया। जो विधि विपरीत है। आगे कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनी कई नजीरों में स्पष्ट मत पारित किया है कि मातहत अदालत को वाद पत्र एवं प्रस्तुत जवाब दावा पर बनायी गई तनकीयात तथा वाद में आयी हुई दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक तनकी पर अपना मत पारित करना चाहिये था, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय म ऑर्डर 14 रूल 5 सी0पी0सी0 का बोईलेशन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर मातहत अदालत का निर्णय मय डिक्री दिनांक 25.03.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस मे पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर मे प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार इस भूमि में अपीलांटगण द्वारा अवैध रूप से बजरी खन का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है। इसका अकृषि कार्य के लिए बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग नही किया जा सकता है। इस प्रकार खातेदार द्वारा कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो अवैधानिक है फलस्वरूप मातहत अदालत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन करने से विवादित आराजीयात को सिवायचक दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खरिज फरमाई जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2063 खतौनी भारजा नदी पटवार क्षेत्र गंभीरा मे मूल खातेदार गिर्राज पुत्र जगन मीना सा0 देह से अपीलांट ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा उक्त विवादित आराजीयात जरिये नामान्तकरण संख्या 1289 दिनांक 05.01.05 द्वारा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त आराजी है। प्रकरण मे 04 तनकीयात कायम की गई। परन्तु अपीलांट अपने आराजीयात से केवल अनुपजाउ मिट्टी की परत को हटाया जाना व मौके पर 306 अमरूदों के पेड होने के कथन को अपील मीमों मे सशपथ सत्यापित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व प्रतिवादियों की प्रति परीक्षण कार्यवाही की जानी चाहिए थी या वास्तविक स्थिति के लिए **"भौतिक सत्यापन"** हेतु पक्षकारों से भिन्न किसी अन्य को **"मौका कमिश्नर"** नियुक्त कर रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी, ताकि दोनो पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो का परीक्षण किया जा सकता। परन्तु अदालत मातहत द्वारा ऐसा परीक्षण नहीं किया गया व **"तहसीलदार"** की रिपोर्ट व शपथ पत्र को ही आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है, न्यायहित के विरूद्व हैं।

द्वितीयः– प्रकरण मे 04 तनकीयात कायम की गई। निर्णय पारित करते समय प्रत्येक तनकी की विस्तृत विवेचना किया जाना व उसको निर्णित करने का प्रावधान आदेश 20 नियम 05 जा0 दी0 के अनुसार है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रावधानों व प्रकिया के बिना अनुसरण किए ही महत्वपूर्ण बिंदु **"खातेदारी अधिकारों"** को समाप्त कर दिया जो विधिक विपरीत है।

12. उपर्युक्त विवेचना के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 67/2012 बउनवान सरकार बनाम मनभर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वगैरह में पारित आलौच्य आदेश व डिक्री दिनांक 25.03.2015 को अपास्त किया जाता है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 67/2012 बउनवान सरकार बनाम मनभर मे पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 की अनुपालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया गया है उसे कलमजन किए जाने के आदेश दिए जाते है।/अपीलांटस् को खसरा न0 1407 रकबा 0.072 व खसरा नं0 1398 रकबा 04.24 है0 मे से 2.24 है0 ग्राम भारजा नदी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 11.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 11.07.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner